10/3/26 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 08/4/26 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

08/04/2026 मिसल पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 से 03, 5/3, 6/1 व 6/2, 14 तथा 07 से 12 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 04 अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बावजूद अंतिम अवसर अप्रार्थी सं. 5/4, 13 व 16 की सूचनार्थ तामील हेतु सम्मन तलबाना पेश नहीं किए गए। पत्रावली के अवलोकन पर अप्रार्थी सं. 5/1, 5/2 की तामील होना जाहिर आया है। प्रार्थी को अंतिम रूप में निर्देशित एवं पर्याप्त अवसर पूर्व में प्रदान किए जाने के उपरांत भी प्रार्थी द्वारा सम्मन तलबाना पेश नहीं किये गए। प्रकरण उक्त अप्रार्थीगण की तलबी में काफी समय से लंबित चला आ रहा है व प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय समय तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है। लिहाजा यह प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अदम [illegible]